बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 317121 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 12.07.17

ग्रा०वि०-10/बजट- 06/2017

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर, नालंदा, लखीसराय, कटिहार, गया, कैमूर, बांका, गोपालगंज, रोहतास, शेखपुरा, पटना, पूर्णिया, भोजपुर, वैशाली, सहरसा, दरभंगा एवं सारण ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" के अंतर्गत राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रूपये 3,40,04,000 (तीन करोड़ चालीस लाख चार हजार रूपये) मात्र की राशि "28 02 संविदा सेवाएं" अंतर्गत प्रखंडों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों एवं नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित की जाती है ।

2) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, 428 दिनांक 31.03.17 एवं 3002 दिनांक 26.04.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

3) प्रखंड स्थापना को छोड़कर अन्य किसी स्थापना अर्थात जिला / नजारत / अनुमंडल स्थापना के लिए इस शीर्ष में आवंटित राशि का उपावंटन नहीं किया जाय और आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय । यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

4) माननीय न्यायालय से संबंधित आदेश के कार्यान्वयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाय तदोपरान्त नियमित वेतन का भुगतान पर व्यय किया जाय । न्यायालय संबंधी आदेश के कार्यान्वयन में शिथिलता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

5) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके ।

6) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके । इस आवंटन के विरूद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो ।

ह० 11.07.17 ह० 11/07/17

7) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णत: सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

8) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

9) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

10) इसकी मांग संख्या 42 एवं विपत्र कोड संख्या 42-2515001020001 है ।

11) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 3171121 ग्रा.वि.वि., पटना, दिनांक:- 12.07.17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

प्रा० 11.07.17

11/07/17

ग्रामीण विकास विभाग

विवरणी

वितीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास –0001–प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड–42–2515001020001 एवं मांग संख्या–42) के अंतर्गत आवंटित राशि

क्र०	जिला	28 02 संविदा सेवाएं	
1	2	3	
1	मुंगेर	1652000	(सोलह लाख बावन हजार रूपये)
2	नालंदा	3000000	(तीस लाख रूपये)
3	लखीसराय	748500	(सात लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ रूपये)
4	कटिहार	264500	(दो लाख चौसठ हजार पाँच सौ रूपये)
5	गया	2632000	(छब्बीस लाख बत्तीस हजार रूपये)
6	कैमूर	1080900	(दस लाख अस्सी हजार नौ सौ रूपये)
7	बांका	2589000	(पच्चीस लाख नवासी हजार रूपये)
8	गोपागुंज	2327600	(तेईस लाख सताईस हजार छह सौ रूपये)
9	रोहतास	1131400	(ग्यारह लाख इक्तीस हजार चार सौ रूपये)
10	शेखपुरा	1341600	(तेरह लाख एकतालीस हजार छह सौ रूपये)
11	पटना	2832000	(अट्ठाईस लाख बत्तीस हजार रूपये)
12	पूर्णियां	4000000	(चालीस लाख रूपये)
13	भोजपुर	2490500	(चौबीस लाख नब्बे हजार पांच सौ रूपये)
14	वैशाली	2000000	(बीस लाख रूपये)
15	सहरसा	1416000	(चौदह लाख सोलह हजार रूपये)
16	दरभंगा	3800000	(अड़तीस लाख रूपये)
17	सारण	698000	(छह लाख अंठानवे हजार रूपये)
योग		**34004000**	**(तीन करोड़ चालीस लाख चार हजार रूपये)**

(राधा किशोर झा)
सरकार के विशेष सचिव

D:\A Ravi\Non-Plan\2515